भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3017

उत्तर देने की तारीख: 20/03/2023

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों/अध्यापकों हेतु शैक्षिक अवसंरचना

†3017. श्री चंद्रशेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान ने बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसंरचना प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो निर्धारित और अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) 2015-22 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का विशेषकर ओडिशा में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) वित्त वर्ष 2016-17 से अब तक योजना के सम्बन्ध में संपरीक्षा रिपोर्ट की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं;
(ड.) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में प्राथमिक विद्यालयों के छह शिक्षकों में से लगभग एक शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं है;
(च) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(छ) योजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवंटित बजट और वास्तव में जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियमित योग्यता परीक्षा के आयोजन हेतु उठाए गए कदमों और साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे लोगों को पुन: प्रशिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशन और समानता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2018-19 से समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है । समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज+) से निर्धारित अंतराल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता दी जाती है। स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं भी हर साल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर तैयार की जाती हैं और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपीएण्डबी) में परिलक्षित होती हैं। इसके बाद इन योजनाओं का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है। बुनियादी सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत इस प्रकार है:

बालक शौचालय	बालिका शौचालय	पेय जल	बिजली	खेल का मैदान	चाहरदीवारी	पुस्तकालय	रैंप
95.5	97.4	98.24	88.89	72.58	67.43	79.44	82.17

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकारें हैं और उनके पास आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में स्कूल बुनियादी ढांचा प्रदान करने की जिम्मेदारी और अधिकार है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए परिभाषित क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर प्रारम्भिक विद्यालयों तक पहुंच का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि 'उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण' अधिनियम के प्रारंभ से तीन साल की अवधि के भीतर, पड़ोस के क्षेत्र या सीमा के भीतर स्कूल स्थापित करेंगे, जहां यह पहले से स्थापित नहीं है।

अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, केंद्रीय आरटीई नियमों में पड़ोस के क्षेत्र या सीमा को एक किलोमीटर के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके भीतर एक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना है। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित पड़ोस के मानदंड नए माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए लागू होते हैं। उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जिन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के लिए पड़ोस के मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया है, समग्र शिक्षा उनकी व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए, 5 किमी की दूरी के भीतर माध्यमिक विद्यालयों और 7-10 किमी के भीतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच के लिए सहायता प्रदान करती है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल पहुंच अनुपात क्रमशः 97.18%, 97.15%, 96.09% और 91.65% है।

(ग): वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक तत्कालीन एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा के तहत और वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक समग्र शिक्षा के तहत ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवंटित केंद्रीय हिस्से और कुल व्यय का राज्यवार विवरण अनुलग्नक- I में है।

(घ): विधायिका वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा में रखी जाती है और विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्रों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संसद में रखी जाती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। ओडिशा की वर्ष 2020-21 तक की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी गई है।

(ङ) से (च): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अगस्त 2019 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा – स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए एक पहल शुरू की है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने, विभिन्न स्थितियों को संभालने और प्रथम

स्तर के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। निष्ठा को शुरू में फेस-टू-फेस मोड में आयोजित किया गया था और अब इसे ऑनलाइन मोड में पेश किया जा रहा है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक प्रशिक्षित प्रारम्भिक, माध्यमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम		अब तक प्रमाणित स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की संख्या
1.	निष्ठा (प्राथमिक)	फेस टू फेस मोड	17,73,312
		ऑनलाइन मोड	22,64,539
2.	निष्ठा 2.0 (माध्यमिक)		7,22,712
3.	निष्ठा 3.0 (एफएलएन)		12,26,992

(डेटा स्रोत: एनसीईआरटी)

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में 13335.91 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 5046.77 लाख रूपए का उपयोग कर लिया गया है।

इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के दायरे में आती हैं।

******

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों/अध्यापकों हेतु शैक्षिक अवसंरचना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री चंद्रशेखर साहू, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3017 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2015-16 से 2017-18 तक पूर्ववर्ती एसएसए, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित केंद्रीय हिस्से और किए गए व्यय का राज्यवार विवरण

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16					
		एसएसए		आरएमएसए		शिक्षक शिक्षा	
		जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	359.46	696.75	97.82	211.34	0	0
2	आंध्र प्रदेश	66810.81	161051.54	27182.77	43236.94	408.57	903.97
3	अरुणाचल प्रदेश	18179.44	29271.33	3626.43	802.02	379.7	421.89
4	असम	100464.64	116527.23	16261.66	28234.35	3436.53	3818.36
5	बिहार	251557.33	576225.94	3601.01	25626.79	1534.5	1875
6	चंडीगढ़	3521.81	5767.69	117.65	249.87	4.81	4.81
7	छत्तीसगढ	62219.7	147751.88	22917.78	18651.8	448.72	1707.44
8	दादरा और नगर . हवेली	594.91	1694.87	177.99	134.38		0
9	दमन और दीव	78.38	374.01	77.94	83.09		0
10	दिल्ली	7293.8	10328.59	1952.97	3457.61	605.08	1893.48
11	गोवा	813.58	1585.81	229.15	428.13	470.05	655.84
12	गुजरात	61563.82	182493.43	12238.29	14529.55	920.42	4289.41
13	हरियाणा	34501.21	52916.29	7726.57	25416.09	3444.29	4901.22
14	हिमाचल प्रदेश	12139.13	32526.67	12552.07	14340.84	270	1889.87
15	जम्मू और कश्मीर	129980.55	182893.46	9614.42	23625.35	1581.39	3389.87
16	झारखंड	55863.31	135591.04	7753.04	21458.48	0	0
17	कर्नाटक	41759.33	119636.52	20968.84	48969.6	6386.78	9096.69
18	केरल	12858.86	25832.72	10247.22	5107.24	2064.17	3804.47
19	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	139.87	235.3	9.79	19.11	0	0
21	मध्य प्रदेश	160197.85	212603.6	28340.93	48756.39	1175.01	1593.63
22	महाराष्ट्र	41225.28	84734.46	20180.33	50121.88	813.58	2319.05
23	मणिपुर	18355.46	15031.94	5093.41	5097.86	2045.99	2360.57
24	मेघालय	16626.96	21003.75	40.08	166.3	415.69	460.34
25	मिजोरम	9437.51	14382.25	2080.48	3703	4443.23	2963.34
26	नगालैंड	8739.53	15943.8	5326.42	2513.32	2584.26	3210.25
27	ओडिशा	82081.65	134883.34	19870.99	40494.99	1923.84	2944.3

28	पुदुचेरी	583.14	561.18	152.56	521.22	80.79	129.3
29	पंजाब	30003.82	65592.85	4482.69	22824.69	1347.73	2214.13
30	राजस्थान	193462.09	425030.13	37129.87	74346.6	5007.27	5989.22
31	सिक्किम	4054.36	5163.87	1661.22	1792.34	121.46	336.86
32	तमिलनाडु	82111.73	141320.18	31471.84	76013.07	2404.01	6806.99
33	तेलंगाना	21776.01	68807.25	20008.1	26193.92	80	0
34	त्रिपुरा	16956.97	19667.41	910.28	3937.99	0	857.06
35	उत्तर प्रदेश	505434.3	1205725.47	13150	22848.19	2023.03	5918.49
36	उत्तराखंड	22588.4	38131.67	4330.77	9300.22	2387.79	2033.68
37	पश्चिम बंगाल	84679.41	170734.26	2909.39	4963.59	0	36.6
	कुल	**2159014.41**	**4422718.48**	**354492.77**	**668178.15**	**48808.69**	**78826.13**

* व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17					
		एसएसए		आरएमएसए		शिक्षक शिक्षा	
		जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	479.14	831.9	354.82	429	19.7	9.85
2	आंध्र प्रदेश	63302.18	122115.26	7108.57	34909.74	437.68	1566.8
3	अरुणाचल प्रदेश	19956.64	30445.19	1207.31	3331.18	1206.62	291.65
4	असम	87652.3	106131.38	25776.42	38357.87	3125.36	3988.93
5	बिहार	270688.4	638367.43	20065.41	17465.84	0	0
6	चंडीगढ़	3333.56	5673.19	335.02	82.18	5.49	0
7	छत्तीसगढ	59262.77	170229.54	24663.89	27081.26	1490.05	2161.16
8	दादरा और नगर . हवेली	1068.37	1974.23	220.13	73.56	0	0
9	दमन और दीव	300	230.5	123.2	98.54	0	0
10	दिल्ली	8306.2	11439.95	1829.43	2846.27	1971.13	2923.83
11	गोवा	869.11	1791.08	334.98	576.19	151.49	250.63
12	गुजरात	77740.5	118412.76	16505.36	13268.17	1905.79	4409.53
13	हरियाणा	32000.88	68265.36	14724.44	26325.38	3529.64	7054.35
14	हिमाचल प्रदेश	12825.46	30704.71	23279.25	16775.3	1272.4	1802.17
15	जम्मू और कश्मीर	107250.05	125783.94	14947.61	28546.57	3922.7	4310.17
16	झारखंड	50945.73	131992.15	13295.61	40924.66	111.08	66.02
17	कर्नाटक	54495.51	128686.02	8104.32	17814.66	1877.93	3636.08
18	केरल	11316.74	32147.72	4969.22	15728.93	713.58	3160.04
19	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	239.87	250.99	17.87	15.15	0	0
21	मध्य प्रदेश	154455.09	266913.52	34834.51	68474.5	1032.53	1738.91
22	महाराष्ट्र	60369.65	192206.91	12305.67	33719.41	2067.02	3514.89
23	मणिपुर	4405.31	14384.23	4320.68	7312.78	1263.74	2638.24
24	मेघालय	20067.01	23522.18	1897.71	2749.6	354.32	393.69
25	मिजोरम	10934.31	12664.43	3223.65	3654.72	438.33	1716.41
26	नगालैंड	10725.34	17000.91	2509.58	6597.82	3396.52	3071.05
27	ओडिशा	70423.00	156377.33	10058.52	25724.26	2257.37	3857.7
28	पुदुचेरी	304.68	577.38	217.56	313.56	139.44	202.11
29	पंजाब	30002.69	60009.64	8852.12	14239.84	1482.32	2470.66
30	राजस्थान	182578.48	453491.19	35968.19	84033.04	2596.09	5241.29
31	सिक्किम	3479.24	5015.36	1479.98	2473.5	522.51	494.39
32	तमिलनाडु	82111.3	138620.06	29324.58	53963.78	4205.93	5958.77
33	तेलंगाना	41776.09	124582.92	9009.98	39715.89	295.17	1530.68
34	त्रिपुरा	19190.95	19965.83	1383.85	2352.42	140.71	947.72

35	उत्तर प्रदेश	505433.99	1458836.03	18913.62	50878	4282.38	6191.36
36	उत्तराखंड	25268.98	42238.11	12463.88	14488.57	3185.36	3539.27
37	पश्चिम बंगाल	82185.33	173945.6	4200.01	12281.32	0	869.22
	कुल	**2165744.85**	**4885824.93**	**368826.95**	**707623.46**	**49400.38**	**80007.57**

* व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18					
		एसएसए		आरएमएसए		शिक्षक शिक्षा	
		जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*	जारी केंद्रीय अंश	व्यय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1945.53	1251.03	308.38	437.87	12.63	9.47
2	आंध्र प्रदेश	70431	94919.79	27032.75	27427.28	875.1	525.06
3	अरुणाचल प्रदेश	23022.07	34987.92	7629.96	1428.9	783.33	1302.79
4	असम	123584	138517.86	14539.49	30282.41	3377.42	3027.68
5	बिहार	255797	763107.95	18603.98	17533.07	333.33	0
6	चंडीगढ़	9265.5	7528.56	205.27	158.75	2.35	8.59
7	छत्तीसगढ	67477	160100.00	14606.98	134862.6	1565.07	939.04
8	दादरा और नगर . हवेली	5476.54	6056.80	136.59	210.75	0	0
9	दमन और दीव	1038.57	853.78	110.91	85.35	0	0
10	दिल्ली	10976.9	16056.56	2725.97	2334.43	2178	1306.8
11	गोवा	862.6	2188.60	413.72	757.98	200	90
12	गुजरात	65046	111952.09	4797.01	22700.12	3820.5	2510.37
13	हरियाणा	36355	71296.29	21243.50	22049.55	4685.51	2811.31
14	हिमाचल प्रदेश	30874	29895.16	10098.37	27173.94	1621.93	1094.8
15	जम्मू और कश्मीर	153797.98	234513.73	29235.19	7682.72	3748.45	2385.69
16	झारखंड	58984.54	116924.18	5070.06	18595.02	334.85	0
17	कर्नाटक	54881.99	161776.40	5169.27	15796.54	3034.08	1365.33
18	केरल	13680	44203.09	3363.86	8868.31	2812.18	1265.48
19	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
20	लक्षद्वीप	406.52	393.51	21.58	6	0	0
21	मध्य प्रदेश	173814	278913.36	42962.33	89406.27	3083.6	2023
22	महाराष्ट्र	64232	226473.17	9969.48	29120.39	3763.85	2258.31
23	मणिपुर	18377	20806.32	7249.21	6164.79	1320.94	2383.02
24	मेघालय	33579.5	29152.24	1420.76	2530.35	417.41	281.75
25	मिजोरम	12000.33	12883.11	3249.44	3625.24	1883.52	1695.17
26	नगालैंड	11717	11229.79	5483.83	6806.08	1617.01	1455.31
27	ओडिशा	86612	186883.65	16388.46	21920.37	3480.53	1566.24
28	पुदुचेरी	622.73	748.98	223.36	718.95	200.12	108.63
29	पंजाब	31665	54084.88	6518.48	15923.05	2331.93	943.2
30	राजस्थान	198973	726452.68	42401.91	82290.51	4963.77	2765.85
31	सिक्किम	5684.35	6682.54	2504.06	2087.98	590.72	310.61
32	तमिलनाडु	86644	144594.98	36356.22	63297.26	5384.18	3777.34

33	तेलंगाना	44244.72	74259.25	19560.02	34265.01	928.53	557.12
34	त्रिपुरा	20220.38	26301.57	3914.92	1988.85	252.61	1766.64
35	उत्तर प्रदेश	424980.68	645175.27	16219.66	76800.9	6529.42	3803.17
36	उत्तराखंड	62499	71989.57	15819.82	16290.41	3478.05	3130.25
37	पश्चिम बंगाल	89657	164908.86	5832.98	20072.56	416.66	187.5
	कुल	**2349425.43**	**4678063.52**	**401387.78**	**811700.56**	**70027.58**	**47655.52**

* व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है

2018-19 से **2020-21** तक समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित केंद्रीय हिस्से और किए गए व्यय का राज्यवार विवरण

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		आवंटन*	व्यय **	आवंटन*	व्यय **	आवंटन*	व्यय **
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	4074.36	1766.22	4734.98	3010.74	5545.59	4142.41
2	आंध्र प्रदेश	115172.71	190605.61	129474.97	139332.96	134853.54	108463.94
3	अरुणाचल प्रदेश	41431.94	40262.37	44313.85	35870.51	44215.86	28533.15
4	असम	162381.39	159238.58	184896.66	175445.81	197702.88	191024.36
5	बिहार	317620.00	558747.65	367391.02	547839.01	382755.00	518977.57
6	चंडीगढ़	9937.16	6636.59	9751.34	7670.09	9552.71	8708.35
7	छत्तीसगढ	88459.63	137877.76	103957.75	80216.74	88790.33	104900.53
8	दादर और नगर हवेली	4762.46	3555.34	4900.56	3535.68	6717.80	4190.87
9	दमन और दीव	1393.74	835.22	1508.67	870.36	0.00	
10	दिल्ली	25751.88	25649.22	30263.61	31036.84	31521.04	36468.09
11	गोवा	1520.28	2125.47	1786.63	2412.72	1861.00	2363.23
12	गुजरात	82795.71	131138.08	138301.52	171899.36	104183.92	180081.78
13	हरियाणा	67406.88	74361.51	77592.51	108614.95	85755.82	122298.83
14	हिमाचल प्रदेश	47510.69	48299.34	55834.57	51840.87	58166.16	37218.15
15	जम्मू और कश्मीर	188224.45	147166.18	179414.26	32714.17	147213.74	118393.51
16	झारखंड	73520.74	130488.03	99401.58	183348.70	90018.00	144324.65
17	कर्नाटक	62784.47	125738.75	77908.31	109628.31	70761.11	85576.23
18	केरल	25605.53	39690.86	24215.62	36797.73	25221.99	43704.37
19	लद्दाख	0.00	0.00	4225.00	83.02	10203.97	2042.92
20	लक्षद्वीप	701.66	217.79	828.45	510.25	826.16	261.64
21	मध्य प्रदेश	245660.00	359283.06	282823.63	467563.75	294630.92	430851.72
22	महाराष्ट्र	91472.35	148106.55	101622.31	138258.93	101370.47	100403.44
23	मणिपुर	31567.87	25511.34	36806.08	34940.03	38242.09	33382.79
24	मेघालय	25346.58	36868.53	34865.40	37488.62	42339.28	40206.78
25	मिजोरम	19739.55	17015.66	19639.61	15392.55	23310.22	19435.04
26	नगालैंड	20952.12	17457.22	24622.93	19644.72	25624.49	17667.02
27	ओडिशा	123689.46	260261.41	189483.85	305962.32	149745.39	259818.65
28	पुदुचेरी	1236.96	2186.97	1453.68	1408.26	1514.00	2308.75
29	पंजाब	44400.30	75356.38	52179.23	105492.69	57209.85	127315.70
30	राजस्थान	276718.28	361782.35	319075.50	373349.39	273019.53	425873.85
31	सिक्किम	10007.51	9882.61	9616.96	10176.86	12749.33	9225.78
32	तमिलनाडु	149750.79	246645.22	180173.13	296785.04	164996.07	271492.84
33	तेलंगाना	76923.66	108561.83	109524.69	134098.72	88061.36	106192.74

क्र.सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		आवंटन*	व्यय **	आवंटन*	व्यय **	आवंटन*	व्यय **
34	त्रिपुरा	29507.60	28624.26	31211.13	32043.98	42642.69	31348.57
35	उत्तर प्रदेश	482310.13	684631.10	560934.86	681355.68	553308.53	668457.49
36	उत्तराखंड	86654.51	47317.44	81815.77	53723.01	78773.29	58187.33
37	पश्चिम बंगाल	109364.64	231606.51	163525.32	218752.89	133877.32	199714.65
	कुल	**3146358.01**	**4485499.01**	**3740075.94**	**4649116.26**	**3577281.44**	**4543557.72**

*परियोजना अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुसार

** प्रबंध के अनुसार व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है

2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित केंद्रीय हिस्से, किए गए व्यय का राज्यवार विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23	
		आवंटन*	व्यय**	आवंटन*	व्यय (फरवरी, 2023 तक)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	5637.45	3595.56	7402.10	3660.00
2	आंध्र प्रदेश	134853.54	147631.70	171258.59	168196.21
3	अरुणाचल प्रदेश	44215.86	37227.29	53369.59	18680.34
4	असम	197702.88	180164.80	251460.08	134374.59
5	बिहार	382755.00	521636.02	501887.29	412627.87
6	चंडीगढ़	10024.09	9084.84	12422.81	8925.90
7	छत्तीसगढ	88790.33	117931.88	113833.06	136849.50
8	दादर और नगर हवेली	6740.66	4144.60	8793.65	3855.96
9	दमन और दीव				
10	दिल्ली	31521.05	25297.27	37727.38	16908.68
11	गोवा	1861.00	2705.38	2985.77	2462.48
12	गुजरात	100974.38	186386.30	137120.75	140264.25
13	हरियाणा	82538.73	105383.82	96350.03	88364.25
14	हिमाचल प्रदेश	58166.16	47097.56	73808.17	49309.69
15	जम्मू और कश्मीर	132021.74	77090.76	165059.67	68652.86
16	झारखंड	90018.00	155085.48	116768.12	138397.47
17	कर्नाटक	70761.11	124390.17	100494.06	108752.36
18	केरल	25221.99	44557.10	34847.00	36568.88
19	लद्दाख	9999.72	2738.71	12349.12	10071.03
20	लक्षद्वीप	573.33	343.53	786.86	391.62
21	मध्य प्रदेश	294630.92	425514.18	372787.90	357294.73
22	महाराष्ट्र	101370.47	67536.59	159289.59	108902.05
23	मणिपुर	37042.52	32168.53	49418.88	27223.12
24	मेघालय	30584.23	40709.34	37342.76	37624.86
25	मिजोरम	22559.99	19574.87	32308.05	16363.93
26	नगालैंड	21808.76	23804.32	28104.50	23799.7
27	ओडिशा	145334.43	216694.98	184107.55	223366.73
28	पुदुचेरी	1514.00	1946.52	1987.30	1614.56
29	पंजाब	54353.29	95654.63	71906.33	46315.31
30	राजस्थान	273019.53	444355.54	345219.75	430132.27
31	सिक्किम	12249.29	9904.15	15176.05	10128
32	तमिलनाडु	164996.07	279038.58	211759.90	199710.18
33	तेलंगाना	88061.36	95397.23	114385.92	114400.62
34	त्रिपुरा	31820.19	36168.05	38741.08	28745.35

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23	
		आवंटन*	व्यय**	आवंटन*	व्यय (फरवरी, 2023 तक)**
35	उत्तर प्रदेश	512311.236	463207.76	626179.97	475895.32
36	उत्तराखंड	67262.62	57072.76	84444.06	42395.64
37	पश्चिम बंगाल	133877.32	238380.34	177338.04	209069.78
	कुल	**3467173.24**	**4339621.14**	**4449221.74**	**3900296.09**

*परियोजना अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुसार

** प्रबंध के अनुसार व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है